उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001.
दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177,

पत्रांक 6021 /वि0अनु0/02/शा0अनु0–238359(55)/2024–25 दिनांक 13-01-2025

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
पिथौरागढ़।

कार्यालय
अधि0 अभि0
उ0ज0सं0 पिथौरागढ़
पत्रांक 463 दि0 10-2-25

विषयः पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत एम0आई0सी0 टैंक से लिंठयूडा वार्ड तक पाईप लाईन बिछाने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0–238359/2024 ई.76433/ 2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 09 सितम्बर, 2024 से पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत एम0आई0सी0 टैंक से लिंठयूडा वार्ड तक पाईप लाईन बिछाने की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी **₹ 21.76** लाख के सापेक्ष सेंटेज की धनराशि कम करते हुए **₹ 19.68** लाख (रु0 उन्नीस लाख अडसठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि आपको इस कार्यालय के पत्र संख्याः 5887 दि. 07.01.25 **(छायाप्रति संलग्न)** से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी गयी है।

कृपया व्यय उपरांत उपयोगिता महाप्रबन्धक के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

(देवराज)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

No. DWS-BWDWS-88/69/88/69/2024-DRINKING WATER DEPARTMENT (Computer No. 76908)
Drinking Water Section 2
ई0 I/238359/2024 ई. 76433/2024

900.

प्रेषक,

डी0एम0एस0राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 सितम्बर, 2024

विषय :– पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत एम0आई0सी0 टैंक से लिंठयूडा वार्ड तक पाईप लाईन बिछाने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2818/TAC/2024–25 दिनांक 17 अगस्त, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत एम0आई0सी0 टैंक से लिंठयूडा वार्ड तक पाईप लाईन बिछाने की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 21.76 लाख के सापेक्ष सेंटेज की धनराशि को कम करते हुए ₹ 19.68 लाख (₹ उन्नीस लाख अडसठ हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

593
18/09/2024

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनाक 31.03.2025 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) योजना के प्राक्कलनों में सम्मिलित किए गये सुपरविजन चार्ज धनराशि, जल संस्थान को सेंटेज/सुपरविजन चार्ज अनुमन्यता के संबध में लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

Sr. A.O.

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(viii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(ix) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department ...

संस्थान

[illegible] में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(xi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश स0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 मे अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–05–नगरीय पेयजल–02–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढीकरण–53–वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशिं आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/111469/2023 दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/237728/2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024 के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 09-09-2024 08:46:40

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0–76908 / (1) / 2024, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Vivek Kumar Jain
Date: 09-09-2024 10:52:01

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।